न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: **29/2022** दायर दिनाँक **25.01.2022**

वादी

1. भंवरलाल पुत्र रामरतन उम्र 39 वर्ष जाति प्रजापत निवासी बेरी कलां, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. लालाराम पुत्र स्व0 रामरतन उम्र 33 वर्ष
2. श्रवण पुत्र स्व0 रामरतन उम्र 31 वर्ष
3. प्रमेश्वर पुत्र स्व0 रामरतन उम्र 26 वर्ष
4. देऊबाई पत्नि स्व0 रामरतन उम्र 60 वर्ष
5. अनु पत्नि स्व0 राधेश्याम उम्र 35 वर्ष
6. दिपशिका पुत्री स्व0 राधेश्याम उम्र 15 वर्ष
7. सोनाक्षी पुत्री स्व0 राधेश्याम उम्र 09 वर्ष
8. चंचल पुत्री स्व0 राधेश्याम उम्र 07 वर्ष
9. हर्षिता पुत्री स्व0 राधेश्याम उम्र 02 वर्ष (प्रतिवादी सं0 06 ता 09 नाबालिक जरिये संरक्षक माता अनु प्रति0 सं0 5) समस्त जाति प्रजापत निवासीगण बेरी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
10. धूड़राम पुत्र भैराराम जाति बावरी
11. नाथूराम पुत्र हुक्माराम जाति मेघवाल
12. बोदुराम पुत्र लादूराम जाति जाट
13. भंवरलाल पुत्र छोगा जाति रेगर
14. शंकरलाल पुत्र रामधन जाति मेघवंशी
15. श्योजीराम पुत्र लादूराम जाति जाट समस्त निवासीगण बेरी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
16. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री मो0 रफीक वकील प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **06.06.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 345 रकबा 6.12 बीघा वाकै बेरी कलां स्थित है, जिसमें पदमाराम पुत्र श्योनाथ का 2.16 बीघा खातेदारी व कब्जा काश्त का दर्ज है तथा उक्त भूमि के नये खसरा सं0 755 रकबा 1.0700 हैक्टे0 है।

यह है कि उक्त जमीन में से पदमाराम ने 567 वर्ग मीटर भूमि का रूपान्तरण तहसील कार्यालय, डीडवाना से सनद सं0 97/384 दिनांक 28.03.1997 को करवा ली थी तथा इस [illegible] बैचाण वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 09 के पिता व पति व [illegible] को जरिये विक्रय–पत्र 16000/–रू0 में बैचाण [illegible] भूमि का मालिकाना हक वादी के पि[illegible] कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

पिता का व उसके बाद वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 9 का ही कब्जा चला आ रहा है।

यह है कि उक्त खेत के खातेदार पदमाराम ने 2000 वर्ग मीटर भूमि का रूपान्तरण तहसील कार्यालय, डीडवाना में सनद सं0 97/379 दिनांक 27.03.1997 को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपानान्तरित करवा ली तथा उसके बाद 2000 वर्ग मीटर आबादी भूमि का विक्रय वादी के पिता रामरतन को जरिये विक्रय–पत्र दिनांक 03.04.1997 के 20000/–रू0 में करके मौके पर वादी के पिता रामरतन को कब्जा संभला दिया, तब से वादी के पिता रामरतन व उसके बाद वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 09 काबिज है।

यह है कि उक्त खेत खसरा सं0 345 में से पदमाराम ने अपने हिस्से की भूमि में से 1969 वर्ग मीटर का रूपान्तरण तहसील कार्यालय डीडवाना में जरिये सनद सं0 97/363 दिनांक 25.03.1997 में करवा लिया था और इस 1969 वर्ग मीटर आबादी भूमि का विक्रय पदमाराम ने वादी के पिता रामरतन को 20000/–रू0 का प्रतिफल लेकर जरिये विक्रय पत्र दिनांक 03.04.1997 के कर दिया तथा मौके पर वादी के पिता रामरतन को कब्जा संभला दिया, तब से वादी के पिता रामरतन तथा इनके बाद वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 09 काबिज है। इस प्रकार आबादी भूमि 567 वर्ग मीटर, 2000 वर्ग मीटर व 1969 वर्ग मीटर कुल 4536 वर्ग मीटर अर्थात 2.16 बीघा भूमि पर वादी के पिता रामरतन व इसके बाद वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 09 का वर्ष 1997 से अबाध रूप से कब्जा है तथा इस आबादी भूमि में वादी के रिहायशी मकान बने हुये है।

यह है कि पदमाराम द्वारा अपने खातेदारी व कब्जा काश्त की 2.16 बीघा भूमि को तीन टूकड़ो में आबादी भूमि में कुल 4536 वर्ग मीटर भूमि रूपान्तरित करवाकर सम्पूर्ण भूमि वादी के पिता रामरतन को दिनांक 03.04.1997 को तीन अलग–अलग विक्रय–पत्रों द्वारा बैचाण कर मौके पर कब्जा संभला दिया था, लेकिन उक्त विक्रत भूमि की नामान्तकरण वादी के पिता रामरतन के नाम से नही भरा गया था, जिसका की अब वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 09 कानूनन हकदार है। लेकिन वर्तमान राजस्व रेकर्ड में पदमाराम की 2.16 बीघा की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस पदमाराम की जगह वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 09 के नाम से क्रय सुदा व कब्जा सुदा 4536 वर्ग मीटर आवासीय भूमि का अंकन करवाने का कानूनन हकदार है। अतः वादी को दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :–

यह है कि वादी के पिता रामरतन द्वारा क्रय सुदा व कब्जा सुदा आबादी भूमि 4536 वर्ग मीटर (2.16 बीघा) भूमि का अंकन वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 09 के नाम से स्व0 पदमाराम पुत्र श्योनाथ की जगह घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जावे तथा इसी माफिक वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 09 के नाम से क्रय सुदा व कब्जा सुदा 4536 वर्गमीटर आबादी भूमि का अंकन कर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01 ता 05, 10 व 06 ता 09 नाबालिक संरक्षक माता का इकबालिया जबाब पेश हुआ। जिसे सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 10 ता 16 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का [illegible] किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन [illegible] डिक्री सादिर किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बैरी कलां के पुराने खसरा सं0 345 जिसके नये खसरा सं0 755 रकबा 1.0700 हैक्टे0 में वादी के पिता रामरतन द्वारा क्रय सुदा व कब्जा सुदा आबादी भूमि 4536 वर्ग मीटर 2.16 बीघा (14/33 हिस्सा) भूमि का अंकन वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 09 के नाम से स्व0 पदमाराम पुत्र श्योनाथ की जगह घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जावे तथा इसी माफिक वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 09 के नाम से क्रय सुदा व कब्जा सुदा 4536 वर्गमीटर आबादी भूमि का अंकन राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावें।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **06.06.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **29/2022** — दायर दिनाँक **25.01.2022**

वादी

1. भंवरलाल पुत्र रामरतन उम्र 39 वर्ष जाति प्रजापत निवासी बेरी कलां, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. लालाराम पुत्र स्व0 रामरतन उम्र 33 वर्ष
2. श्रवण पुत्र स्व0 रामरतन उम्र 31 वर्ष
3. प्रमेश्वर पुत्र स्व0 रामरतन उम्र 26 वर्ष
4. देऊबाई पत्नि स्व0 रामरतन उम्र 60 वर्ष
5. अनु पत्नि स्व0 राधेश्याम उम्र 35 वर्ष
6. दिपशिका पुत्री स्व0 राधेश्याम उम्र 15 वर्ष
7. सोनाक्षी पुत्री स्व0 राधेश्याम उम्र 09 वर्ष
8. चंचल पुत्री स्व0 राधेश्याम उम्र 07 वर्ष
9. हर्षिता पुत्री स्व0 राधेश्याम उम्र 02 वर्ष (प्रतिवादी सं0 06 ता 09 नाबालिक जरिये संरक्षक माता अनु प्रति0 सं0 5) समस्त जाति प्रजापत निवासीगण बेरी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
10. धूड़राम पुत्र भैराराम जाति बावरी
11. नाथूराम पुत्र हुक्माराम जाति मेघवाल
12. बोदुराम पुत्र लादूराम जाति जाट
13. भंवरलाल पुत्र छोगा जाति रेगर
14. शंकरलाल पुत्र रामधन जाति मेघवंशी
15. श्योजीराम पुत्र लादूराम जाति जाट समस्त निवासीगण बेरी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
16. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **06.06.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी व श्री मो0 रफीक वकील प्रतिवादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बैरी कलां के पुराने खसरा सं0 345 जिसके नये खसरा सं0 755 रकबा 1.0700 हैक्टे0 में वादी के पिता रामरतन द्वारा क्रय सुदा व कब्जा सुदा आबादी भूमि 4536 वर्ग मीटर 2.16 बीघा (14/33 हिस्सा) भूमि का अंकन वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 09 के नाम से स्व0 पदमाराम पुत्र श्योनाथ की जगह घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जावे तथा इसी माफिक वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 09 के नाम से क्रय सुदा व कब्जा सुदा 4536 वर्गमीटर आबादी भूमि का अंकन राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावें।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड [illegible]
नीज..........–.......... मुबलिग............–....[illegible]....................–............
........खर्चा इस मुकद्दमें के मय [illegible] अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर [illegible] को सरे इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner